हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

21/8/018

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार टोंक की रिपोर्ट पत्रांक 296 दिनांक 12.01.2018 का अवलोकन किया तथा रिपोर्ट पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। तहसीलदार ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही न्यायालय को अग्रेषित किया है। रिपोर्ट में प्रकरण संख्या–16/2016 के निर्णय के पश्चात ही पालना करना अंकित किया है। वकील प्रतिवादी ने दौराने बहस निवेदन किया कि डिक्रीदार जिस डिक्री की पालना कराना चाहता है उसकी पालना तो तत्समय ही हो चुकी है। इसके पश्चात तो डिक्रदार द्वारा वादग्रस्त भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय की जा चुकी है।

हमने वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूँकि जिस न्यायालय आदेश की पालना हेतु प्रार्थना पत्र इजराय पेश हुआ है उसकी पालना वर्तमान परिपेक्ष्य में शेष नहीं है। इसलिए अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः प्रार्थनापत्र ईजराय भारहीन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सी0 एल0 शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,टोंक

Scanned by CamScanner